ये 'जंगल' नहीं, जमीन का मसला है!

- **भगवानदेव ईसरानी**

विधानसभा द्वारा अपने परिसर में प्रस्तावित विधायक विश्राम गृह के निर्माण की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति अभी जारी ही नहीं हुई कि एक वर्ग विशेष द्वारा निर्माण का एकतरफा विरोध और उस पर ढेर सारी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गईं हैं। विवाद पैदा करने वालों को यह बात बख़ूबी मालूम है कि यह भवन, भोपाल के चुनिंदा भवनों में से एक - ग्रीन बिल्डिंग नार्म के हिसाब से बनाया जाएगा, और कुल 22 एकड़ के इस परिसर का 52 फीसदी क्षेत्र ग्रीन एरिया के रूप में विकसित भी किया जाना है। यह भी कि 22 एकड़ के 10.2 प्रतिशत, अर्थात लगभग ढाई एकड़, का क्षेत्र - जिसमें निर्माण प्रस्तावित है, उसमें अब एक भी पेड़ काटा जाना प्रस्तावित नहीं है। उन्हें यह भी मालूम है कि जैसे ही इस क्षेत्र में बसाहट होगी यहां की हरियाली 4 से 5 गुना बढ़ जायेगी जैसी कि अभी नये विधानसभा भवन या वर्तमान विधायक विश्राम गृह में है।

नया विधानसभा भवन और प्रस्तावित विधायक विश्राम गृह जिन स्थानों पर स्वीकृत है वहां ओम नगर और अब्बास नगर की हजारों की संख्या में झुग्गियां थीं जिन्हें गांधी नगर, गोंदरमऊ सहित भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों में पुर्नस्थापित किया गया है। इस क्षेत्र में अब्बास नगर की टूटी-फूटी झुग्गियों और कांक्रीट रोड के अवशेष अभी भी आसानी से देखे जा सकते हैं। एक हैरतअंगेज तथ्य यह भी है कि समाचार पत्रों में जिस हरियाली और जंगल के फोटो दिखाये जा रहे हैं वे फोटो प्रस्तावित निर्माण स्थल के हैं ही नहीं।

वोट की राजनीति हमारे जनप्रतिनिधियों को हर कुछ सहने को मजबूर कर देती है और लोक-लाज के कारण वे हक से अपनी बुनियादी जरूरतों की बात भी कह नहीं पाते। यह लोक-लाज का ही नतीजा है कि जिन शिवराज सिंह चौहान की पहल पर यह पूरा प्रोजेक्ट बना, आज वे ही इसका विरोध कर रहे हैं। असल में मुख्यमंत्री के तौर पर श्री शिवराज सिंह - विधायक विश्रामगृह में एक बीमार विधायक को देखने गये थे तभी कमरों की हालत देखकर उन्होंने तत्कालीन अध्यक्ष को सुविधाजनक विश्राम गृह बनाने की सलाह दी थी। वरना आप कल्पना नहीं कर सकते कि जिस विधायक विश्राम गृह खण्ड एक से तीन में विधायक रहते हैं, उसका कारपेट एरिया मात्र 250 वर्गफुट का है। छोटा कमरा, छोटा बरामदा, छोटा बाथरूम और बरामदे में ही किचन का काम किया जाता है, अलग से किचन तक नहीं है। ये भी जान लीजिये कि विधायक का ओहदा प्रोटोकोल में मुख्यसचिव से ऊपर है, लेकिन अफसरों के बंगले चर्चा का विषय नहीं हैं विषय विधायक ही हैं।

आज विधायकों की संख्या 231 है और प्रस्तावित निर्माण 5 मल्टी ब्लाक्स में मात्र 102 फ्लेट्स का ही है, बाकी विधायक, विधायक विश्राम गृह में वर्ष 1977 और 1992 में बनें पारिवारिक परिसरों में ही रहेंगे। वर्ष 1958 में बनें ये खण्ड तोड़े भी नहीं जा रहे वरन उनका वैकल्पिक उपयोग होना है, जिसमें से एक विधान परिषद् के सदस्य भी हो सकते हैं, जबकि इसी दौरान नार्थ एवं साउथ तात्या टोपे नगर जर्जर होकर टूट चुका है। एक बात और कही जाती है कि वर्तमान स्थल पर ही निर्माण क्यों नहीं किया जाता? प्रथम कारण यह कि उन ब्लाक्स को तोड़ा नहीं जा रहा है, दूसरा- जिस स्थान पर वो खण्ड बने हैं वहां वर्तमान और आगामी 60 साल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्लेट्स नहीं बन सकते, यह परीक्षण हो चुका है। यदि वहां ऐसे ब्लाक्स बनते हैं तो अतिरिक्त जमीन

के उपयोग में लेने के कारण वर्ष 1956-60 में रोपे गये पुराने पेड़ बड़ी संख्या में कटेंगे जो ज्यादा नुकसानमंद होगा। तीसरा- राजस्व विभाग ने विधानसभा सचिवालय को जो 105 एकड़ जमीन वर्ष 1995 में आवंटित की थी वो नई विधानसभा और विधायक विश्राम गृह निर्माण के लिये ही आवंटित की थी यानि निर्माण वर्ष 1995 से अब तक टल ही रहा है ।

मामले पर विवाद 2013 से पैदा किया जा रहा है विवाद के चलते मामला ग्रीन ट्रिब्यूनल में गया वहां 12 फरवरी 2015 को प्रोजेक्ट के हक में फैसला हुआ। अपने फैसले में ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लिखा कि 'we believe that the project is executed as environmental friendly project and prior environmental clearance and permission to cut trees are duly obtained.' इस प्रोजेक्ट की SEIAA से पर्यावर्णीय स्वीकृति सहित नगर निगम व अन्य एजेन्सीज़ की सभी स्वीकृतियां हो चुकी हैं। लगभग 37 लाख रूपये खर्च करके काटे गये वृक्षों के एवज में उससे कई गुना अधिक, लगभग साढ़े तीन हजार पेड़ विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्र में लगाये गये हैं जो सभी जीवित हैं। विवाद का कारण इस प्रोजेक्ट के लिए एप्को द्वारा आर्किटेक्टेस की नियुक्ति के लिये बुलाई गई निविदा है जो इन्दौर के आर्किटेक्ट के हक में गई जबकि इसके निविदाकारों में भोपाल के कुछ आर्किटेक्टस भी थे और नई दिल्ली का वह आर्किटेक्ट भी जिसने मंत्रालय की एनेक्सी का निर्माण किया है। विवाद का एक और कारण इस निर्माण स्थल के पास खाली पड़ी लगभग 3 एकड़ की वह जमीन भी है जो इस निर्माण स्थल से बिल्कुल लगी हुई है और इस निर्माण के बाद कोई अन्य इस जमीन को आवंटित नहीं करा पायेगा, यानि मामला जमीन और कुछ की 'जमीन खिसकने' का है, जंगल कटने का है ही नहीं। मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं कि विधायकों को अनावश्यक सुविधाएं दी जायें लेकिन इसकी आड़ में विधायकों को उनकी बुनियादी जरूरतों से भी वंचित रखा जाये यह बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है इसलिये प्रस्तावित विधायक विश्राम गृह की योजना शीघ्र प्रारंभ होना चाहिये।

(लेखक म.प्र.विधानसभा के प्रमुख सचिव रहे हैं प्रस्तुति: मनुज फीचर सर्विस)

नोट: मनुज फीचर सर्विस में छपे लेखों के विचार लेखक के अपने हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। यहां प्रकाशित सामग्री का उपयोग गैर व्यावसायिक कार्यों के लिए करने हेतु किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मनुज फीचर सर्विस का उल्लेख अवश्य करें।